

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

| क. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|----------|---------------------------|---|
| | 27/6/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। कदी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 27/8/25 को पेश हो</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p> |
| 27-8-25 | | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता शर्मा उपस्थित। पूर्वादेश की मालना हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 8/10/2025 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p> |
| 03.10.25 | NOT PRESS | <p>वादी के शीर्ष पुनर्वादी शर्मा पत्र के आधार पर आज्ञा पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता शर्मा उपस्थित। अधिवक्ता शर्मा द्वारा निवेदन किया गया की उक्त पत्र में पत्रकार के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिए शर्मा पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः शर्मा पत्र 'Not Press' करने की अनुमति प्रदान करें। अधिवक्ता कदी/शर्मा के निवेदन पर शर्मा पत्र 'Not Press' किया जाये की अनुमति प्रदान की जाकर शर्मा द्वारा प्रस्तुत शर्मा पत्र अर्न्तगत धारा 212 RTA Not Press के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के फल शुभारंभ होकर नंबर में कम होकर दायित्व दफ्तरे हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p> |